समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

श्री अबरार अहमद कमर, बि0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 19-06-2015 को *''स्वच्छ भारत मिशन''* एवं *''स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय''* योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा से स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण योजना की अद्यतन प्रगति बताने को कहा गया।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा ने बताया कि वर्ष 2012-13 में मधेपुरा जिले में सभी परिवारों का सर्वेक्षण पी0एच0ई0डी0 द्वारा कराया गया था, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि कितने ऐसे परिवार हैं, जिनके पास शौचालय नहीं है। सर्वेक्षणोंपरांत 3,66,166 परिवार शौचालय विहीन पाये गये। 2 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत हुई, जिसके अंतर्गत शौचालय निर्माण का लक्ष्य 3,66,166 निर्धारित हुआ। इसमें से 2,09,059 परिवार बी0पी0एल0 श्रेणी में तथा 1,37,346 परिवार ए0पी0एल0 (Identified) श्रेणी में रखे गये। ए0पी0एल0 (Identified) श्रेणी में भूमिहीन परिवार, महिला प्रधान परिवार, विकलांग प्रधान परिवार, सीमांत किसान (5 एकड़ से कम) इत्यादि शामिल हैं। शेष 15,261 परिवार ए0पी0एल0 (अन्य) श्रेणी में रखे गये। शौचालय निर्माण योजना के तहत् बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 (Identified) श्रेणी के परिवारों को 12,000/- रूपये प्रति शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दिया जाना है। ए0पी0एल0 (अन्य) श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य सरकार की लोहिया स्वच्छता योजना के तहत् 4600/- रूपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाना है। लाभुक द्वारा शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर विधिवत् भरा हुआ आवेदन, फोटोग्राफ के साथ पी0एच0ई0डी0 कार्यालय में जमा किया जाता है, जिसकी जाँच करायी जाती है तथा जाँचोपरान्त RTGS/NEFT के माध्यम से लाभुक के खाते में राशि स्थानान्तरित की जाती है।

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 द्वारा यह भी बताया गया कि कुल शौचालय विहीन परिवारों के निर्धारित लक्ष्य को 5 वर्षो के अंदर, 02 अक्टूबर, 2019 से पहले पूर्ण किया जाना है। प्राप्त पंचवर्षीय लक्ष्य को वार्षिक लक्ष्य में विभाजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 88,698 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 02 अक्टूबर, 2014 से 31-03-2015 तक कुल 1890 शौचालय निर्मित्त किये गये। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रत्येक प्रखंड अन्तर्गत तीन-तीन पंचायतों का चयन किया गया है, जहाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सभी सर्वेक्षित शौचालय विहीन परिवारों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना है, अर्थात् उक्त **39 पंचायतों में खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति पाना है।** गाह मई, 2015 तक कुल 4,446 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा उत्तरी बिहार पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से सम्बद्ध जिले के

जिलाधिकारियों के साथ दिनांक 17-06-2015 को आयोजित विडियो कान्फ्रेंसिंग में निदेश दिया गया कि शौचालय निर्माण कार्य में तीव्र गति से प्रगति लायी जाय। इसके लिए विभागीय एजेंसी या पंचायत निकाय या एन0जी0ओ0 या अन्य किसी भी एजेंसी की सहायता से शौचालय निर्माण का कार्य कराया जा सकता है। यह भी बताया गया कि लाभुकों को शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही किसी भी स्तर पर प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। जैसे यदि कार्य प्रारंभ करने हेतु लाभुक सामग्री खरीद के लिए राशि की मांग करता हैं, तो उसे कुछ राशि दी जा सकती है। मनरेगा को शौचालय निर्माण का लक्ष्य हस्तांतरित नहीं किये जाने का सुझाव दिया गया। यदि इन्दिरा आवास के लाभार्थी शौचालय बनाना चाहते हैं, तो इन्हें राशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 द्वारा बताया गया कि यदि लिखित रूप से इस प्रकार का निदेश प्राप्त हो जाए कि किसी भी एजेंसी की सहायता से शौचालय निर्माण कार्य कराया जा सकता है, तो तीव्र गति से प्रगति संभव हो पायेगी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही प्रतिवेदन सभी जिलों को भेजा जाता है। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के पूर्व, आज की बैठक के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निदेशों से आपको अवगत कराया जा रहा है। इस बैठक की कार्यवाही भी आपको उपलब्ध करा दी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि कार्य चाहे जिस किसी एजेंसी से कराया जाय, परन्तु कार्य का अनुश्रवण नियमित तौर पर हो, कार्य गुणवत्तापूर्ण हो तथा ईमानदारीपूर्वक हो, इससे कोई भी परेशानी भविष्य में नहीं होगी। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 द्वारा बताया गया कि यदि एजेंसी के माध्यम से कार्य कराने की व्यवस्था लागू हो जाती है, तो वे अपने स्तर से यह प्रयास करेंगे कि लाभुकों को शौचालय निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एक ही स्थान पर एवं सस्ते दर पर प्राप्त हो जाए।

जिलाधिकारी द्वारा प्रगति लाने हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 का वार्षिक लक्ष्य, 88,698 को मासिक लक्ष्य में विभाजित किया जाय।
2. प्रत्येक पंचायत हेतु चयनित लाभुकों की सूची के आधार पर सभी प्रखण्ड समन्वयक लाभुकों के घर-घर जाकर शौचालय निर्माण हेतु उन्हें प्रेरित करेंगे। राशि की मांग किये जाने पर अनुरोध पत्र लाभुक से प्राप्त कर पी0एच0ई0डी0 कार्यालय को समर्पित करेंगे, जहां लाभुकों के खाते में राशि हस्तानांतरित हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
3. प्रत्येक पंचायत हेतु चयनित लाभुकों की सूची की सी0डी0 संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायी जाएगी, जो संबंधित पंचायत के इंदिरा आवास सहायक के माध्यम से इंदिरा आवास लाभार्थियों एवं अन्य लाभुकों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करेंगे।
4. प्रत्येक पंचायत में ग्राम पंचायत की ग्रामीण स्वच्छता समिति को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित मुखिया क्रियाशील बनायेंगे एवं उक्त समिति के माध्यम से शौचालय विहिन परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करेंगे।
5. ग्राम पंचायत अन्तर्गत खुले में शौच करने की प्रथा समाप्त हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि सभी घरों में शौचालय हो। अतएव संबंधित मुखियागण अपने स्तर से यह पूर्ण प्रयास करेंगे कि उनके पंचायत के सभी घरों में शौचालय निर्माण हो गया है

Toilet first, temple later
-Shri Narendra Modi
Prime Minister of India

तथा कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता है। यह उनके लिए गौरव की बात होगी।

6. यदि कार्यपालक अभियंता किसी एजेंसी के माध्यम से कार्य कराते हैं, तो कार्य की गुणवत्ता हेतु अपने अधीनस्थ सहायक /कनीय अभियंता के माध्यम से सम्पूर्ण अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 द्वारा यदि प्रत्येक लक्षित पंचायत में अथवा प्रखण्ड में, शौचालय निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के खरीद की व्यवस्था एक ही स्थान पर एवं सस्ते दर पर सुनिश्चित करायी जाती है, तो लाभुकों के लिए सुविधाजनक होगा। इससे शौचालय निर्माण की प्रगति तीव्र होगी।
8. यदि कोई लाभुक शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने के पूर्व ही किसी स्तर पर राशि की मांग करता है, तो उसे आवेदन पत्र के साथ-साथ एक एग्रीमेन्ट भी करा लिया जाए कि वह लिए गए राशि का उपयोग शौचालय निर्माण हेतु ही करेगा तथा समय पर शौचालय निर्माण पूर्ण करायेंगे।
9. वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रतिवेदन की इन्ट्री नियमित तौर पर किया जाय। इस मामले में प्रगति खेदजनक है। ऑनलाईन प्रतिवेदन के आधार पर मात्र 196 शौचालय पूर्ण दिखाया जा रहा है।
10. प्रत्येक माह के 05 तारीख तक सभी प्रखंड समन्वयक /जिला समन्वयक के साथ-साथ सभी कनीय अभियंता /सहायक अभियंता /कार्यपालक अभियंता की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी, जिसके लिए उपयुक्त तिथि का निर्धारण हेतु अनुरोध पी0एच0ई0डी0 कार्यालय की संचिका के माध्यम से किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 द्वारा यह भी बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में कम्युनिटी लैट्रीन हेतु 2,00,000/- रू0 का प्रावधान है, जिससे दो शौचालय, एक स्नान घर तथा एक चापाकल का निर्माण कराया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक शौचालय हेतु स्थल का चुनाव संबंधित पंचायत के मुखिया अथवा ग्रामीण स्वच्छता समिति के सहयोग से प्रखण्ड समन्वयक द्वारा किया जाए तथा अविलम्ब चयनित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

पंचायत स्तर पर ठोस कचरे के निपटारा हेतु भी प्रति पंचायत 20,00,000/- रू0 का प्रावधान होने की बात कार्यपालक अभियंता द्वारा बतायी गयी। जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि लक्षित 39 पंचायतों में कार्य-योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

अन्त में जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित अभियंताओं को निदेशित किया गया कि शौचालय निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है, अतएव ससमय लक्ष्य पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि किसी भी स्तर पर इस कार्य में कोताही बरती जाएगी, तो दोषी कर्मियों के विरूद्ध तुरंत सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता /कनीय अभियंता, पी0एच0ई0डी0 /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

Toilet first, temple later
-Shri Narendra Modi
Prime Minister of India

स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं को सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 17-06-2015 को आयोजित विडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निदेश से अवगत कराया गया कि हरहाल में 30 जून, 2015 तक विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाना है। इसके लिए रणनीति पर विचार करने हेतु सर्वप्रथम उच्च विद्यालयों में शौचालय निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गयी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 93 उच्च विद्यालय हैं, जिसमें से 50 पुराने उच्च विद्यालय तथा 43 उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं। इनमें से कुल-10 विद्यालयों में शौचालय नहीं है अथवा क्षतिग्रस्त हैं। जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से उक्त 10 विद्यालयों में शौचालय निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी मांगा, तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि जिलाधिकारी द्वारा उक्त 10 में से किसी एक विद्यालय का नाम पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि सभी 6 उच्च विद्यालय, जहां निर्माण कार्य शुरू है, वहां जाकर विद्यालय प्रधान से अब तक प्रगति नहीं होने के कारणों की समीक्षा की जाए तथा जो भी बाधायें हैं, उसे दूर करते हुए हरहाल में 30 जून, 2015 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। तत्संबंधी प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

उच्च विद्यालय

प्रथमिक विद्यालय /मध्य विद्यालय /नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण की स्थिति के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 596 विद्यालयों में शौचालय नहीं है। इनमें से 575 युनिट Boys Toilet तथा 222 युनिट Girls Toilet का निर्माण किया जाना है। अब तक कुल 65 युनिट Toilet का निर्माण पूर्ण हुआ है, जिसमें 42 युनिट Boys Toilet तथा 23 युनिट Girls Toilet है। धीमी प्रगति के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा द्वारा बताया गया कि शिक्षक एवं कनीय अभियंताओं के हड़ताल के कारण कार्य नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी द्वारा क्षोभ व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा निर्माण होने योग्य शौचालयों की प्रखण्डवार एवं विद्यालयवार विवरणी की मांग की गयी, ताकि प्रत्येक प्रखण्ड हेतु जवाबदेह कनीय अभियंताओं के साथ इसकी समीक्षा की जा सके, परन्तु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा सका। जिलाधिकारी द्वारा शौचालय निर्माण कार्य में पी0एस0यू0 की भागीदारी के संबंध में सरकार से प्राप्त पत्रों के विषय में जानकारी मांगी, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, परन्तु कनीय अभियंताओं द्वारा बताया गया कि आर0ई0सी0 कम्पनी द्वारा 78 विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य कराया जाएगा। साथ ही कोको कोला कम्पनी द्वारा भी कुछ विद्यालयों में शौचालय निर्माण कराने की बात कही गयी। प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा द्वारा बताया गया कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी के वरीय अभियंता श्री टी0 बाला सुब्रह्मन द्वारा एक पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्होंने 16 में से 04 विद्यालयों में

शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। जिलाधिकारी द्वारा अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए सभी उपस्थित पदाधिकारियों /अभियंताओं को निदेशित किया गया कि –

1– 596 विद्यालयों की सूची, जिसमें शौचालय निर्माण किया जाना है, प्रखण्डवार तथा पंचायतवार उपलब्ध करायी जाए।

2–उक्त सूची में यह भी चिन्हित किया जाए कि किन विद्यालयों में Boys Toilet तथा किसमें Girls Toilet अथवा किस विद्यालय में दोनों प्रकार के Toilet का निर्माण कितनी संख्या में किया जाना है।

3–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि 51 विद्यालय ऐसे हैं, जहां शौचालय निर्माण हेतु विद्यालय के किसी कमरे या बरामदे में शौचालय निर्माण किये जाने का अद्यतन निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उन विद्यालयों की सूची अलग से प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया तथा यह भी निदेश दिया गया कि उक्त विद्यालयों में कार्य प्रारंभ करने हेतु राशि निर्गत की जए।

4–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान द्वारा बताया गया कि 124 विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा उन विद्यालयों की सूची अलग से प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि कुल लक्ष्य 596 में से वर्तमान में 124 विद्यालयों को घटा दिया जाए। इस प्रकार शौचालय निर्माण हेतु कुल लक्ष्य 472 निर्धारित किया गया।

5–यह भी निदेशित किया गया कि शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य किन–किन विभागों अथवा निकायों द्वारा शौचालय निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अन्य किसी भी सरकारी विभाग द्वारा शौचालय निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है।

6–जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि जितने भी पी0एस0यू0 अथवा कॉरपोरेट निकाय द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उन विद्यालयों की सूची तथा सरकार का पत्र जिसमें पी0एस0यू0 /कॉरपोरेट बॉडी को निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व दिया गया है, से अवगत कराया जाए।

7–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान को निदेश दिया गया कि पी0एस0यू0 अथवा कॉरपोरेट निकाय द्वारा जिन विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उसके पास यदि भूमि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे विद्यालयों की सूची अलग से दी जाए। साथ ही यह प्रस्ताव भी दिया जाए कि उनके द्वारा किन–किन विद्यालयों में शौचालय निर्माण कराया जाएगा।

8–प्रखण्ड स्तर पर सभी कनीय अभियंताओं को यह निर्देश दिया गया कि वे निर्माण कार्य का केवल मॉनटिरिंग करें। यह बात प्रकाश में आयी है कि कई विद्यालय इस कारण से कार्य शुरू नहीं कर पाये हैं कि संबंधित कनीय अभियंता उनके विद्यालय में अभी तक पहुंच कर कार्य प्रारंभ नहीं कराये हैं। यह गलत परम्परा है। शौचालय निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन विभाग द्वारा भेजा गया है, जिसकी सहायता से विद्यालय शिक्षा समिति कार्य सम्पन्न करा सकती है। आपके द्वारा केवल तकनीकी सहयोग एवं अनुश्रवण तथा समय–समय पर मेजरमेन्ट किया जाना है।

9–जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से शौचालय निर्माण कार्य का अनुश्रवण करने का निदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान को दिया गया एवं साप्ताहिक प्रगति से अवगत कराने को कहा गया।

10–शौचालय निर्माण से संबंधित वेबसाईट पर फोटो एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी अपलोड किया जाना है। अभी तक यह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। अतएव हरहाल में पूर्ण कराये गये शौचालयों का फोटो एवं प्रगति प्रतिवेदन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य का अनुश्रवण करेंगे।

11–अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक प्रपत्र भी उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है :–

प्रपत्र

प्राथमिक विद्यालय /उत्क्रमित मध्य विद्यालय /नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण का प्रगति प्रतिवेदन

प्रथम चरण

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता का नाम	प्रथम चरण मे शौचालय निर्माण हेतु आवंटित विद्यालयों	सम्बद्ध विद्यालयों में Boys Toilet की संख्या	सम्बद्ध विद्यालयों में Girls Toilet की संख्या	कुल निर्माण होनेवाले Toilet की संख्या	Status Boys Toilet					Status Girls Toilet					वेबसाईट पर शौचालय निर्माण से संबंधित फोटो एवं प्रगति प्रतिवेदन अपलोड किए गए कुल Toilet की संख्या
							Layout	Plinth level	Lintel level	Roof Level	Completed	Layout	Plinth level	Lintel level	Roof Level	Completed	

द्वितीय चरण

द्वितीय चरण मे शौचालय निर्माण हेतु आवंटित विद्यालयों	सम्बद्ध विद्यालयों में Boys Toilet की संख्या	सम्बद्ध विद्यालयों में Girls Toilet की संख्या	कुल निर्माण होनेवाले Toilet की संख्या	Status Boys Toilet					Status Girls Toilet					वेबसाईट पर शौचालय निर्माण से संबंधित फोटो एवं प्रगति प्रतिवेदन अपलोड किए गए कुल Toilet की संख्या
				Layout	Plinth level	Lintel level	Roof Level	Completed	Layout	Plinth level	Lintel level	Roof Level	Completed	

(अनुपालन–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /सभी संबंधित कनीय /सहायक अभियंता, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा जिला /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

20/6/15

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

20/6/2015

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

Toilet first, temple later
-Shri Narendra Modi
Prime Minister of India

ज्ञापांक....1701...../गो0, मधेपुरा, दिनांक.20/06/2015

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा /सभी संबंधित कनीय /सहायक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 / जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि लक्षित पंचायतों के मुखियागण को अपने स्तर से सूचित करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

20/6/15

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

20/06/2015

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

D/Khalid/2015/Gopnia/ Proceeding/ 19-06-15

Toilet first, temple later
-Shri Narendra Modi
Prime Minister of India